Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to ensure benefit of Pradhan Mantri Awas Yojana to deprived Scheduled Caste and Scheduled Tribe community.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोकहित के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, हम सभी जानते हैं कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का लाभ वर्ष 2011 की आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची के आधार पर ही गरीब लोगों को दिया जा रहा है। परन्तु, दु:ख के साथ कहना है कि मेरे संसदीय क्षेत्रांतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की पूरी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। पंचायतों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत बनने वाले आवास के लाभुकों की सूची में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के आवास निर्माण की प्राथमिकता तय की जाती है। परन्तु, यह देखा जा रहा है कि अधिकतर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को या तो पूर्व में ही इस योजना का लाभ मिल चुका है, जो बहुत कम पैसा मिलता था, उस समय वह मिला है अथवा उनका नाम वर्ष 2011 के आर्थिक जनगणना की सूची में दर्ज नहीं है।

उन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नाम पर पंचायतों में जो राशि भेजी जाती है, वह बिना उपयोग के वापस हो जाती है। सरकार को इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है, जिससे माननीय प्रधान मंत्री जी का वर्ष 2022 तक 'सबको आवास' का लक्ष्य पूरा हो सके।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पंचायतों में 2011 की आर्थिक जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग वंचित हैं, उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जिससे सरकार द्वारा पंचायतों को भेजी जा रही राशि से गरीबों का कल्याण हो सके, उनका घर बन सके। मेरी यही प्रार्थना है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Rama Devi.